पुलिस अधीक्षक मनमीत सिंह नारंग ने बताया कि दिनांक 27.04.09 कि रात 10.30 बजे फोन से सूचना मिली थी कि ग्राम पचोला में खेत पर बने मकान पर रहने वाले परिवार के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। सूचना पर माकडोन थाना प्रभारी बलदेव सिंह ठाकुर मय पुलिस बल के मौके पर रवाना हुये कि रास्ते में घायलो को ला रहा ट्रेक्टर मिला जिसमें सुरे सिंह उसकी पत्नि सायर बाई बहू सीता कुवंर गंभीर रूप से घायल एवं पुत्री मोनिका भी घायल पाई गई। जिन्हे एम्बुलेंस से इलाज के लिए सी..एच. उज्जैन उनि राणा के साथ भेजा। थाना प्रभारी मय दल बल के घटनास्थल पर जाकर बदमाशों की तलाश मे रातभर जानकारी एकत्रित करते हुये बदमाश की तलाश करते रहे। दूसरे दिन घटनास्थल से ढाई किलोमीटर दूर एक अज्ञात युवक की लाश मिली। जिसकी पेंट की जेब से आइडिया की सिम मिली जिसकी जांच में घायल परिवार के पौते नागेन्द्र सिंह का नम्बर मिला। इससे पुलिस को शंका घायल परिवार के लड़के नागूसिंह पर हुई।

श्री नारंग ने बताया कि सूचना मिलने पर मैने एफ.एस.एल. टीम को मय डाग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (न्यू) सुश्री चैत्रा.एन को मौके पर भेजा और मै स्वयं भी घटनास्थल पर गया। एवं वहां ग्रमीणों से पूछताछ की घटनास्थल एवं अज्ञात लाश को देखा तथा तराना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विवेक कुमार लाल एवं थाना प्रभारी बलदेव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम विवेचना हेतु गठित की एवं आवश्यक निर्देश दिये। इसी बीच सुरे सिंह की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। विवेचना में लगाई गई टीम ने दिन रात मेहनत कर लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के बावजूद पता लगाया कि परिवार में सपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था। मृतक सुरे सिह अपने तीनो पुत्रो के बीच संपत्ति का बंटवारा बराबर–बराबर नही किया। तीन पुत्रों को केवल 20–20 बीघा जमीन भी बांटी एवं स्वयं के पास करीब 50 बीघा जमीन रखी जिसकी वह स्वयं ही फसल लेता था। करीब 11 माह पहले सुरे सिंह का पौता नागू सिंह एक ट्रक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके ईलाज करीब 1.75 लाख रूपये खर्च हुये थे। जो सुरे सिंह मागने पर भी नागु सिंह को नही दिये थे। सुरे सिह कजूंस प्रवृत्ति का था। इसी कारण नागु सिंह उससे काफी नाराज था। नागू सिंह एक आवारा मिजाज का होकर खेती में काम नही करता था। तो उसने अपने दोस्तो के साथ मिलकर षडयंत्र रचा और घटना को अजांम दिया।

श्री नारंग ने बताया कि घटना की शाम को जब नागू सिंह का पिता एवं काका एक तिलक समारोह व मान के प्रोग्राम से ग्रम से बाहर गये हुये थे। तब नागू सिंह ने अपने साथी राजा उर्फ राजेश बंजारा,बबलू उर्फ भगवान सिंह बंजारा निवासी दौलतपुर थाना घटिया एवं पप्पू बंजारा निवासी बडी ढुगर थाना कानड़ को रूपाखेडी में बुलाया वहां एक मोटरसाइकिल पर तीनो को बैढाकर अपने खेत पर बने मकान पर ले गया। और लाईट जाने के तुरंत बाद स्वयं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर बैठा रहा और तीनो बंजारो ने सुरे सिंह सायर बाई एवं सीता कुवर बाई व मोनिका के साथ फरसी व लाठी से मारपीट की। व सायर बाई के पैर से दो चांदी के कढे लूट लिये इसमे सीता बाई गंभीर रूप से घायल हुई अपनी मां को घायल देखकर नागू सिंह ने आपा खोकर गुस्से में थोडी दूर पर जाकर अपनी मां को मारने वाले बबलू उर्फ भगवान सिंह को सिर में फरसी मारी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। एवं दूसरे घायल सायर बाई ने भी अस्पताल में दम तोड दिया। पुलिस टीम ने नागू सिंह को हिरासत में लेकर कडी पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

इस प्रकरण को पते में लाने में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री विवेक कुमार लाल के नेतृत्व में माकडोन थाना प्रभारी बलदेव सिंह ठाकुर,उनि श्री आर.एन.पाल,पी.एस.आई. श्री कमल सिंह ठाकुर आरक्षक वैभव सिंह आरक्षक गजेन्द्र शर्मा आरक्षक ओमप्रकाश आरक्षक रामचन्द्र आरक्षक राजेन्द्र एवं आरक्षक चन्द्रबहादुर की सराहनीय भूमिका रही।